कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष 0771 – 2512840 | ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/ 1166 | दिनांक 08/06/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत् भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–14/ 2020/ 10–2 दिनांक 27.05.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 8 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:– संदर्भित पत्र 4 पृष्ठीय

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 835 ए/ 1167 | रायपुर, दिनांक 08/06/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

संलग्न:– संदर्भित पत्र 4 पृष्ठीय

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक एफ 5–14 / 2020 / 10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27 / 05 / 2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं वन बल प्रमुख
अरण्य भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमण्डल अंतर्गत भारत नेट प्राजेक्ट Phase- II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायरब केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर का FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ :– 1. अ.प्र.मु.व. (भू–प्रंबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/1529, दिनांक 18.08.2020।

DPO हेतु
पत्र प्रारम्भ रखें।

2. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 02.09.2020।
3. अ.प्र.मु.व. (भू–प्रंबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/1855, दिनांक 19.10.2020।
4. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 27.11.2020।
5. अ.प्र.मु.व. (भू–प्रंबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/107, दिनांक 14.01.2020।
6. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 03.02.2021।
7. अ.प्र.मु.व. (भू–प्रंबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/969, दिनांक 05.04.2021।

—00—

संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से विषयांतर्गत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया था।

2/– प्रस्ताव में 5 बिन्दुओं पर त्रुटियां होने से प्रकरण त्रुटि सुधार हेतु विभागीय संदर्भित पत्र क्र. 02 लेख किया गया।

3/— संदर्भित पत्र क्र. 03 में उक्त 5 बिन्दुओं की त्रुटि सुधार संबंधी जानकारी भेजी गई किंतु इसमें से वन विकास निगम से चाही जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं भेजी गई।

4/— उक्त वन विकास निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु पुनः विभागीय संदर्भित पत्र क्र.04 लेख किया गया।

5/— संदर्भित पत्र क्र. 05 में मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल के पत्र दिनांक 12.01.2021 के साथ 5 वन कक्षों की अनापत्ती प्रमाण पत्र भेजी गई जबकि आपके द्वारा प्रेषित मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020) में 7 वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित हैं।

6/— अतः छूटे हुए वन कक्ष क्र. 2482 तथा कक्ष क्र. 2509 (कोटा वन क्षेत्र) की अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विकास निगम से प्राप्त करने हेतु संदर्भित पत्र क्र. 06 लेख किया गया था।

7/— संदर्भित पत्र क्र. 07 में आपके द्वारा उक्त 2 वन कक्षों की अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विकास निगम से प्राप्त न करते हुए वन विकास निगम के पत्र क्र./व.वि.नि./के.पी./मा.चि. /2021/3583 दिनांक 12.03.2021 को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। जिसमें विषयांकित परियोजना में वन विकास निगम से प्रभावित कुल 18 वन कक्षो का विवरण दिया गया है। इसमें भी उक्त 2 वन कक्ष (कक्ष क्र. 2482 तथा 2509 का उल्लेख नहीं है।)

यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि संदर्भित पत्र क्र. 07 के साथ वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के पत्र क्र./तक. अधि./1385, दिनांक 01.03.2021 को भी संलग्न कर भेजा गया है। जिसमें वनमण्डलाधिकारी द्वारा आवेदक के मूल प्रस्ताव में आवेदित वन कक्ष तथा उनके विवरण पर भी आपत्ती ली गई है। वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के अनुसार प्रस्ताव में त्रुटियां निम्नानुसार है :—

I. कॉलम 6 अंतर्गत अनुक्रमांक 1 से 6, 15, 19, 22 ,25, 26 से 40 आरक्षित वनभूमि दर्शाया गया है, जबकि संरक्षित वन क्षेत्र है।

II. अनुक्रमांक 23, 24 का कक्ष क्रमांक 137, 169 को शिवतराई परिक्षेत्र दर्शाया गया है, जबकि यह वन विकास निगम के कार्य क्षेत्र में है। इसी प्रकार अनुक्रमांक 60,

61, 62 का संरक्षित कक्ष क्रमांक 84, 94 एवं 95 परिक्षेत्र भैंसाझार दर्शाया गया है, जबकि यह वन विकास निगम के कार्य क्षेत्र में है।

III. प्रकरण में प्रभावित हो रही वन भूमि के कक्ष क्रमांक का क्षेत्राधिकार किस परिक्षेत्र का है इसका सत्यापन संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से नहीं कराया जा गया है।

IV. मंडल प्रबंधक, वन विकास निगम बिलासपुर, को प्रभावित होने वाले वन भूमि की सूची उपलब्ध कराकर उनके कार्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी वन कक्ष एवं रकबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार सुधार किया जाना आवश्यक है।

8/— उपरोक्त परिदृश्य में प्रकरण में कृपया निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करे :—

I. विषयांतर्गत मूल प्रस्ताव (आपके पत्र दिनांक 18.08.2020 अनुसार) में दिया गया वन क्षेत्र विवरण अनुसार वन विकास निगम के अंतर्गत प्रभावित कुल 7 वन कक्ष है अथवा वन विकास निगम के पत्र क्र. 3583 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कुल 18 वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत है।

II. आपके मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020) में दिये गये वन क्षेत्र विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी के पत्र क्र. 1385 दिनांक 01.03.2021 में दिये गये वन क्षेत्र विवरण में त्रृटियां परिलक्षित हो रही हैं।

III. **प्रस्ताव में बार—बार पत्राचार के बावजूद आवेदित वन कक्षों की स्पष्ट स्थिति तथा वन विकास निगम से वांछित सही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है,। कृपया संबंधितों को स्पष्ट निर्देश प्रस्तावित कर शीघ्र जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।**

IV. पूर्व मूल प्रस्ताव में (पत्र दिनांक 18.08.2020) आवेदित वन क्षेत्र में आरक्षित वन का रकबा 2.925 हे., संरक्षित वन कक्ष का रकबा 2.739 हे, नारंगी वन क्षेत्र का रकबा 0.805 हे. तथा राजस्व वन रकबा 428 हे. या वहीं आपका संदर्भित पत्र क्र. 07 के माध्यम से प्रेषित वन क्षेत्र की वन में आरक्षित वन भूमि का रकबा 1.002 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा 4.720 हे., नारंगी वन भूमि का रकबा 0.474 हे. एवं

राजस्व वन भूमि का रकबा 0.428 हे. दर्शाया गया है।

कृपया यह परीक्षण करें कि यह त्रुटि क्यों हुई ? क्या पूर्व में कराया गया DGPS सर्वे त्रुटिपूर्ण हो नहीं है तथा यदि एरिया स्टेटमेंट बदलना है तो क्षेत्र की पुनः DGPS सर्वे कराया जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी ?

v. अतः प्रस्ताव का भलीभांति परीक्षण कर प्रस्ताव में प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र आ रहे है, उनका सही–सही विवरण देते हुए 21 बिन्दुओं के चेकलिस्ट अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग